

No 3507 ICS/2011/GOI  
Date 20 OCT 2011

कृषीसंगठ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)  
पंजी. क्रमांक 2-1736  
दिनांक 12-1 OCT 2011

No.1/18/2011-IR  
Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Personnel & Training

\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated: the 16<sup>th</sup> September, 2011

19 OCT 2011  
Jey, R.T.I.

**Subject:** Observation of Hon'ble Supreme Court on Right to Information Act, 2005 in Civil Appeal no.6454 of 2011, arising out of SLP [C] No.7526/2009 in the case of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors.

\*\*\*\*

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No.1/4/2009-IR dated 05.10.2009 whereby a Guide on the Right to Information Act, 2005 was circulated. Para 10 of Part I of the Guide, inter alia, stated that 'only such information can be supplied under the Act which already exists and is held by the public authority or held under the control of the public authority. The Public Information Officer is not supposed to create information; or to interpret information; or to solve the problems raised by the applicants; or to furnish replies to hypothetical questions.' The same issue has been elaborated by the Supreme Court in the matter of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors. (Civil Appeal No.6454 of 2011) as follows:

"At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information *that is available and existing*. This is clear from a combined reading of section 3 and the definitions of 'information' and 'right to information' under clauses (f) and (j) of section 2 of the Act. If a public authority has any information in the form of data or analysed data, or abstracts, or statistics, an applicant may access such information, subject to the exemptions in section 8 of the Act. But where the information sought is not a part of the record of a public authority, and where such information is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority, the Act does not cast an obligation upon the public authority, to collect or collate such non available information and then furnish it to an applicant. A public authority is also not required to furnish information which require drawing of inferences and/or making of assumptions. It is also not required to provide 'advice' or 'opinion' to an applicant, nor required to obtain and

संस/सा.प्र.वि.  
21-10-2011  
दिनांक

संस/सा.प्र.वि.  
21-10-2011  
दिनांक

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including "20/10/2011" and "21/10/2011".

furnish any 'opinion' or 'advice' to an applicant. The reference to 'opinion or 'advice' in the definition of 'information' in section 2(f) of the Act, only refers to such material available in the records of the public authority. Many public authorities have, as a public relation exercise, provide advice, guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should not be confused with any obligation under the RTI Act."

3. This may be brought to the notice of all concerned.



(K.G. Verma)

Joint Secretary(RTI)

Tel: 23092158

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

संख्या 1/18/2011-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 16 सितम्बर, 2011

विषय: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्धोपाध्याय और अन्य के मामले  
एस.एन.पी.(सी) संख्या 7526/2009 से उद्भूत, सिविल अपील संख्या 6454/2011 में  
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुपालन


\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2009-आई.आर. दिनांक 05.0.2009 की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक मार्गदर्शिका परिचालित की गई थी। मार्गदर्शिका के भाग-1 के पैरा 10 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लिखित किया गया था कि मात्र ऐसी सूचना की ही इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण के अधीन धारित हो। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने; अथवा सूचना की व्याख्या करने; अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने; अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसी मुद्दे को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्धोपाध्याय और अन्य (सिविल अपील संख्या 6454/2011) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तार दिया गया है जो निम्नानुसार है:

"इस मोड़ पर, यह आवश्यक है कि आर.टी.आई. अधिनियम के विषय में कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया जाए। आर.टी.आई. में सभी सूचना जो उपलब्ध और विद्यमान हैं तक पहुंच का प्रावधान है। यह अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) और (ज) के अंतर्गत 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं और धारा 3 के सम्मिलित पठन से स्पष्ट है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा, अथवा सारां, अथवा आंकड़ों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए पहुंच बना सकता है। किन्तु जहां सूचना किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेख का कोई भाग नहीं है, और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बनाए रखी जानी अपेक्षित नहीं है, अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी लोक प्राधिकरण से निकाशों को निकालने और/अथवा

मान्यताओं को बनाने की या, 'मत' दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को किसी 'मत' अथवा 'सलाह' को प्राप्त करने और दिए जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 2(च) में 'सूचना' की परिभाषा में 'मत' अथवा 'सलाह' का संदर्भ, मात्र लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसे मसौदों से संदर्भित है। अनेक लोक प्राधिकरण, एक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में, नागरिकों को सलाह, मार्गदर्शन और मत उपलब्ध करवाते हैं। किन्तु यह पूर्णतः स्वैच्छिक है और आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत किसी बाध्यता के साथ इसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।"

3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।



(के.जी. वर्मा)

संयुक्त सचिव (आर.टी.आई.)

दूरभाष: 23092158

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति-सचिवालय/उप-राष्ट्रपति-सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/सभी राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
6. सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग।

प्रतिलिपि: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।